

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-४४७/२४८८/२०१७/२०-३  
प्रति,

भोपाल, दि २०/२/२०१७

सचिव  
सी०बी०एस०ई०  
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्थाओं को सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् व्यारा अशासकीय संस्था-(1)आचार्य विद्यासागर  
पब्लिक स्कूल, खनियाधाना, जिला शिवपुरी (2)उकायना स्कूल, इंदौर (3)'द'  
सरदाना इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम शंकरगढ़, जिला देवास, म०प्र० को  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित  
शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश  
के स्कूलों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें। इस हेतु संस्था की  
कार्यकारिणी में म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी  
को नामांकित किया जाय।
- (2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं  
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल  
का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध  
करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाय।
- (3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर  
विभाग व्यारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का  
अधिकार होगा।
- (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के  
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की  
मान्यता नियम, २०१७ में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (5) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में समिलित करना अनिवार्य  
होगा।
- (6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का  
आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रंदान करेंगे।

  
Sachin


निरन्तर..2

  
Manager

11/2/1

- (7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में माना ० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इच्छार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रभाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(कलावती उड़िके)

अवर सचिव


म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि० २० / २ / २०१७

पृ० कमांक-४४९/२४८८/२०१७/२०-३  
प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।  
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।  
(3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ..... , म०प्र०


  
अवर सचिव


  
अवर सचिव

निरन्तर..3

//3//

- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इंदौर/देवास/शिवपुरी, म0प्र0  
(5) निज सहायक, मान0 मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।  
(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-(1)आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल,  
खनियाधाना, जिला शिवपुरी(2)एकायना स्कूल, इंदौर(3)'द' सरदाना  
इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम शंकरगढ़, जिला देवास, म0प्र0  
(7) फोल्डर प्रति  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अघेषित।

  
अवर सचिव  
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

  
Dr. Rakesh Jaiswal

मान0 मंत्री

  
Mr. V. H. Mehta  
Manna School, Indore